न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—265/2017/223 आर.टी.एक्ट (2017/00265)

1. मुकेश दत्तक पुत्र पीरूलाल जाईन्दा पुत्र बजरंगलाल जाति जाचक निवासी ग्राम कानाखेड़ी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. बजरंगलाल पुत्र उगमा
2/1 फली देवी पत्नी स्व0 श्री कन्हैयालाल
2/2 रवि पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल
2/3 सागर पुत्र स्व0 श्री कन्हैयालाल
2/4 विमला पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल
2/5 रीना पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल
2/6 कंचन पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल
2/7 भारती पुत्री स्व0 श्री कन्हैयालाल
उपरोक्त सभी जाति जाचक निवासी ग्राम कानाखेड़ी, तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
3. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार नसीराबाद, जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्ट्स

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद, केम्प कोर्ट खानाखेड़ी(न्याय आपके द्वार अभियान—2015 लोकअदालत) राजस्व वाद संख्या 126/2014

उपस्थितः—

1. श्री सी0पी शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/2 से 2/7.
3. श्री विकास पराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 03.
4. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 अनुपस्थित.

निर्णय

दिनांकः—12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, केम्प कोर्ट खानाखेड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 126/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी/ वादी ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद जिला अजमेर के समक्ष एक

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

वाद संख्या 126/2014 अंतर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया। जिसे दर्ज कर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई और प्रतिवादीगण हाजिर अदालत उपस्थित हुए जवाब दावे के लिए समय चाहा और तारीख पेशियां लेते रहे इसी दौरान उक्त प्रकरण को न्याय आपके द्वारा अभियान 2015 के तहत लोकअदालत केम्प कोर्ट खानाखेड़ी में पत्रावली को रख लिया गया और बिना सभी पक्षकारान की उपस्थिति में केवल मात्र अपीलांट/वादी मुकेश व प्रतिवादी संख्या 01 बजरंगलाल की उपस्थिति दर्ज कर बिना जवाबदावा रेकार्ड पर लिए एवं पक्षकारान को साक्ष्य व जिरह का अवसर प्रदान किए बिना ही अपीलाधीन निर्णय दिनांक 22.05.2015 पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद, केम्प कोर्ट खानाखेड़ी द्वारा प्रकरण संख्या 126/2014 में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2/1 बावजूद सूचना के भी उपस्थित नहीं हुए।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी/अपीलांट की उपस्थिति दर्ज कर बिना विधिवत सुनवाई कर केम्प कोर्ट लोकअदालत में यह आश्वासन दिया कि दावा आपके पक्ष में डिक्री कर देंगे और आगे की कोई पेशी नहीं बताई जिससे अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं हुई और सर्वप्रथम इसकी जानकारी हल्का पटवारी के द्वारा दिनांक 11.10.2017 को हुई तब नकल प्राप्त कर अपने वकील साहब को अपील पेश करने के लिए कागजात दे दिए तथा अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब का समुचित कारण अपीलाधीन निर्णय की जानकारी नहीं होना रहा है जो विलंब का संतोषप्रद कारण है तथा विधि विरूद्ध पारित निर्णय को कभी भी चुनौती दी जा सकती है। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना तनकीयात कायम किए एवं पक्षकारान के बयान जिरह रेकार्ड पर लिए अपीलाधीन निर्णय पारित कर गंभीर भूल की है। अपीलाधीन निर्णय में स्वयं कथन किया है कि विचारण के दौरान मृतक पीरूलाल की पत्नी कमला ने आवेदन अंतग्रत आदेश 01 नियम 10 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का पेश किया जिसे भी निरतारित नहीं किया है और अपीलाधीन निर्णय पारित कर विधिक भूल की है जिसे निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अपीलाधीन निर्णय की पेज संख्या 02 पर कथन किए है कि विरासत व हक व अधिकार बावत वादी ने कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किए है जिससे की पीरू का दत्तक पुत्र सिद्ध होता हो कमला को वाद में पक्षकार बनाए निर्णय में अंकित कर दिए जो विधि विरूद्ध है और इसके वाद अंतिम चरण में वाद को स्वीकार अथवा अस्वीकार किए बिना ही अंतर्गत धारा 135(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार नसीराबाद को विरासत की कार्यवाही की जाने के लिए कथन करते हुए निर्णय पारित कर दिया जो प्रथम दृष्टया ही विधि विरूद्ध है। क्योंकि प्रार्थी/अपीलांट ने हक, हिस्से की घोषणा एवं विभाजन का वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

था जिसे तृतीय अनुसूची के अनुसार सुनवाई की अधिकारिता सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी को ही प्राप्त है और तहसीलदार के पास निस्तारण हेतु जो आदेश दिया गया वो एक नामांतरकरण की सरसरी कार्यवाही है जिसमें हक–हकुक, अधिकार तय नहीं होते हैं। जिससे अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाना न्यायोचित है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद कैम्प कोर्ट खानाखेड़ी द्वारा पारित आदेश निर्णय व डिक्री दिनांक 22.05.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 2/2 से 2/7 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब/बहस में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट का धारा 5 का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंटसंख्या 2/2 से 2/7 ने दौराने जवाब/बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद ने प्रकरण को धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अपीलांट/वादी मृतक खातेदार पीरूलाल का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं इस तथ्य की जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित किया है। अपीलांट/वादी तहसीलदार के समक्ष अपने साक्ष्य, सबूत पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है। प्रस्तुत अपील खारिज योग्य पायी है। मान्नीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट खारिज फरमायी जावे।

8. हमने विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक प्रतीत होते हैं। अतः न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं।

9. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट ने परीक्षण न्यायालय के समक्ष स्वंय को मृतक खातेदार पीरूलाल का दत्तक पुत्र होने के आधार पर वाद अंतर्गत धारा 853, 88, 188, 92–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर मृतक खातेदार पीरूलाल की आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित कर हिस्सेनुसार बंटवारा करने का अनुतोष चाहा है । उक्त वाद के विचाराधीन रहते मृतक पीरूलाल की पत्नि कमला ने प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थिया मृतक खातेदारी पीरूलाल की पत्नि है । उसके द्वारा अथवा उसके पति द्वारा वादी/अपीलांट को कभी भी गोद नहीं लिया गया है । इससे स्पष्ट है कि प्रकरण मृतक खातेदारी पीरूलाल की विरासत को लेकर है । इसी कारण परीक्षण न्यायालय ने प्रकरण को धारा 135 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पक्षकारान को साक्ष्य, सुनवाई का अवसर देते हुए नामांतकरण/विरासत की कार्यवाही हेतु तहसीलदार को प्रेषित किया है । अपीलांट/वादी मृतक खातेदार पीरूलाल का दत्तक पुत्र है अथवा नहीं इस तथ्य की जांच हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रेषित किया है। अपीलांट/वादी तहसीलदार के समक्ष अपने साक्ष्य,

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

सबूत पेश कर अनुतोष प्राप्त कर सकता है । परीक्षण न्यायालय ने मृतक खातेदार पीरूलाल की विरासत की जांच कर नामांतकरण/विरासत की कार्यवाही हेतु प्रकरण तहसीलदार को प्रतिप्रेषित किया है जिसमें हमें कोई विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि प्रतीत नही होती है ।

10. परिणामत् अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22.5.2015 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर